हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]/02/2026	
पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उक्त प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक 522 दिनांक 27/01/2026 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली हो। इसके अलावा प्रार्थी की बहस सुनी। बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज व TDR रिपोर्ट का अवलोकन किया। अतः प्रार्थी बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र के अवलोकन के आधार पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 LRAct स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण पैसल शुमार होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।	
(हस्ताक्षर) 18/2/26 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्याः– 150/2025 (विविध)
प्रकरण दायर दिनांकः–11.10.2025
प्रकरण निर्णय दिनांकः–18.02.2026

उनवान

1. बंशीराम पुत्र नहन्या जाति माली निवासी बडियाल कलां तहसील बांदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बाँदीकुई जिला दौसा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लै0 रे0 एक्ट

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी का नाम बंशीराम पुत्र नहन्या जाति माली निवासी बडियाल कलां है जबकि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 75 पुराना 72 ग्राम बैसला का बास तहसील बांदीकुई जिला दौसा में प्रार्थी बंशी के पिता का नाम भूरया दर्ज है जो अशुद्ध है जबकि मेरे मूल दस्तावेजो में मेरे पिताजी का नाम नहन्या दर्ज है जो सही है। कृपया इस को शुद्ध करने बाबत निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बांदीकुई से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। तहसीलदार बांदीकुई ने अपने पत्र कमांक/भू.अ./2026/1562 दिनांक 16.01.2026 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट अनुसार ग्राम बैसला का बास के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2075–78 के खाता संख्या 75 खसरा नंबर 379 किता 12 रकबा 2.06 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम बंशी पुत्र भूरया हि. 1/16 जाति माली सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा अपने पिता के नाम संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, जनाधार कार्ड, बैंक पासबुक में प्रार्थी के पिता का नाम बंशी पुत्र नहन्या दर्ज है। मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों से जानकारी प्राप्त करने पर ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि प्रार्थी के पिताजी को भूरया व नहन्या दोनो नामों से जाना जाता है व दोनो एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बहस की गयी। हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया।

अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, प्राप्त जॉच रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि राजस्व जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का नाम भूरया सहवन से दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी के पिता सही नाम नहन्या है। राजस्व जमाबंदी में उक्त त्रुटि सहवन

१५६–

से कारित होना प्रतीत होती है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः स्वयं प्रार्थी की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाते है कि ग्राम बैसला का बास तह. बाँदीकुई जिला दौसा की भूमि खाता सं. 75 खसरा नंबर 379 लगायत 383, 500 लगा, 502, 505, 506, 507, 513 कुल किता 12 कुल रकबा 2.06 हैक्टेयर में आप स्वयं जॉच करे कि प्रार्थी बंशीराम के पिता भूरया एवं नहन्या दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। जॉच में आप पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही नियमानुसार प्रार्थी का शुद्ध नाम दर्ज करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करे। तहसीलदार बाँदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

18/2/26

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई